



वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे

2007-2008

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
कोर-4 बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
वेबसाइट: एचटीटीपी:\\एनसीआरपीबी.एनआईसी.ईन





वार्षिक लेखे

2007-2008

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
कोर-4 बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
वेबसाइट: एचटीटीपी:\\एनसीआरपीबी.एनआईसी.ईन



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

कायिक/पूंजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
एनसीआरपीबी निधि (कायिक/पूंजी निधि)	1	18229023109	15651031478
आरक्षित और बेशी		0	0
निर्धारित/विन्यास निधियां		0	0
बाजार ऋण (कर योग्य व कर मुक्त बांड)		20000000000	0
अप्राप्त कर्ज और ऋण		0	0
आस्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं और प्रावधान	2	67588104	598892821
योग		20296611213	16249924299
<u>परिसम्पत्तियां</u>			
सावधि परिसम्पत्तियां	3	12657486	13879763
निर्धारित/विन्यास निधियों से निवेश		0	0
पीएफ/एनपीएस का निवेश	4	12406260	11810288
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	5	20271547467	16224234248
विविध व्यय		0	0
(बट्टे खाते न डाली गई अथवा समायोजित न की गई मात्रा तक)			
योग		20296611213	16249924299
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	15		
आकास्मिक देयताएं और नोट्स आन एकाउन्ट्स	16		

ह./-

सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-

निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (योजना)

(राशि रुपये में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद		तुलन पत्र में स्थानांतरण	तुलन पत्र में स्थानांतरण
शुल्क व अभिदान		0	0
निवेश से निर्धारित/विन्यास निधियों से आय		0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनों से आय		45850	84015
अर्जित ब्याज	6	1140984885	1114979928
अन्य आय	7	0	4441066
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति पर वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनों के स्टॉक को हटाने से अन्य आय		0	0
		0	192551
योग (क)		1141030735	1119697560
व्यय			
स्थापना व्यय	8	11944251	11075045
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	9	11657674	1560574
अनुदानों, इमदादों आदि पर व्यय			0
बाजार ऋण पर व्यय		38508653	157160800
अनुसूची - 5 से संबंधी मूल्यहास	10	1723776	2121637
योग (ख)		63834354	171918056
व्यय (क-ख) की तुलना में आय के अधिक होने से शेष		1077196381	947779504
वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए आयकर का प्रावधान		0	319000000
वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए फिजि लाभकर का प्रावधान		0	101000
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता		1077196381	628678504
रा.रा.क्षे.यो.बो. में अन्तरण			
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	15		
आकास्मिक देयताएं और नोट्स ऑन एकाउन्ट्स से	16		

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (गैर-योजना)

(राशि रूपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
आय		0	0
बिक्री/सेवाओं से आय		18741000	19000000
एम ओ यू डी से सहायता अनुदान		0	0
शुल्क व अभिदान		749523	832992
जी पी एफ व सी पी एफ के निवेश से आय	11	0	0
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		0	0
अर्जित ब्याज		56427	445598
अन्य आय	12	0	0
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)		19546950	20278590
योग (क)			
व्यय			
स्थापना व्यय	13	14169020	14038100
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	14	4582680	5206723
अनुदानों, इमदादों आदि पर व्यय			0
ब्याज			0
अनुदान की सावधि परिसम्पत्तियों से प्राप्ति			
योग (ख)		18751700	19244823
व्यय की तुलना में आय की अधिकता से शेष		795250	1033767
रा.रा.क्षे.यो.बो.निधि (क-ख) में अन्तरण			
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	15		
आकास्मिक देयताएं और नोट्स ऑन एकाउन्ट्स	16		

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रूपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना
I. अथ शेष						
(क) हाथ में रोकड़	3269	3269		17271	17271	0
(ख) बचत खाते में बैंक बैलेंस	550209028	550209028		-990857439	-990857439	0
(ग) बचत खाता जी पी एफ में शेष	427370		427370	-49751	0	-49751
(घ) बचत खाता सी पी एफ में शेष	933		933	284387	0	284387
(ङ) एस बी खाता नई पेंशन योजना में शेष	312394		312394	155739	0	155739
उप-योग	550952994	550212297	740697	-990449794	-990840168	390374
II. प्राप्त अनुदान						
(क) शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार से	1018741000	1000000000	18741000	769000000	750000000	19000000
(ख) दिल्ली सरकार से	500000000	500000000		270000000	270000000	0
III. निवेश पर आय						
जी पी एफ सी पी एफ एन.पी.एस.						
(क) बचत बैंक ब्याज	35900		35900	184918	0	184918
(ख) भविष्य निधि जमा पर ब्याज	636619		636619	631154	0	631154
IV. प्राप्त ब्याज						
(क) राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए गए ऋण पर	881700970	881700970		733987656	733987656	0
(ख) बचत बैंक (आटो स्वेप एफडीआर सहित)	48591654	48591654		32113175	32113175	0
(ग) बैंक जमाओं पर	133654478	133654478		382513427	382513427	0
(घ) स्टाफ को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज	20027	20027		107	107	0

V. अन्य आय						
(क) रा.रा.क्षे. प्रकाशनों की बिक्री	45850	45850		83615	83615	0
(ख) 2005-06 की अल्प प्राप्ति वापस	0			400	400	0
(ग) एम टी एन एल/जी एम टी से प्राप्त प्रतिभूति	2020800	2020800		0	0	0
(घ) समाचार पत्रों की बिक्री	2200		2200	2454	0	2454
(ङ) परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान	0			0	0	0
(च) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	532		532	140	0	140
(छ) स्टॉफ से प्राप्त बांडमनी/ब्याज	0			426904	0	426904
(ज) भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	2300			7700	0	7700
(झ) आर ओ आई की पुर्नस्थापना के लिए अपफ्रंट शुल्क	0			2420266	2420266	0
(ण) एन पी योजना के लिए बोर्ड का अंशदान	0			76529	0	76529
VI. उधार रकम						
एन सी आर पी बी कर योग्य बॉन्ड - 2018	20000000000	20000000000				
VII. अन्य प्राप्ति						
(क) राज्य सरकारों द्वारा ऋण का पुनर्भगतान	2076194936	2076194936		2053141604	2053141604	0
(ख) भुनाई गई सावधि जमा	21627021474	21627021474		32846885483	3246885483	0
(ग) भविष्य निधि निवेशों की परिपक्वता	4860000		4860000	12061575	0	12061575
(घ) बयाना	8465		8465	200000	0	200000
(च) स्टॉफ को विविध अग्रिम	40316		40316	128504	0	128504
(छ) पेट्रोल अग्रिम	2615		2615	14887	0	14887
(ज) यात्रा अग्रिम	351090		351090	207361	0	207361
(झ) छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	81439		81439	25280	0	25280
(ङ) स्टॉफ को दिए गए अग्रिम की नकद वसूली	12300		12300	51893	0	51893
(ट) प्रतिनियुक्त कर्मचारी वसूली	6240		6240	6120		6120

(ठ) एल आई सी से प्राप्त जी आई एस धन	102859		102859	95504	0	95504
(ड) सामान्य भविष्य निधि रोकड़ की कटौती	0			0		
(ढ) स्रोत पर कर की कटौती	2124823		2124823	34261854	0	34261854
(ण) राज्यों को दिए गए ऋण से अधिक प्राप्तियां	614553	614553		158382	158382	
(ल) स्टेल चेकों को लौटाना	47385		47385	0	0	0
	73900		73900	0	0	0
योग	28847947719	28820077039	27870680	36148237098	36080463947	67773151

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रुपयों में)

भुगतान	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना
I. व्यय						
(क) स्थापना व्यय (अनुसूची-13 संबंधी)	19803016	8330998	11472018	7278425	3585792	3692633
(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-14 संबंधी)	15862390	11283563	4578827	13719913	1616528	12103385
(ग) बाजार ऋण पर व्यय	8042078	8042078		269253925	269253925	0
II. राज्य सरकार/एजेंसियों को बांटे गए कर्ज	7053724750	7053724750		4164576000	4164576000	0
III. किए गए निवेश और जमा						
(क) सावधि जमा में निवेश की गई राशि	20657302784	20657302784		26858300000	26858300000	0
(ख) भविष्य निधि	5000000		5000000	12000000	12000000	0
IV. सावधि परिसम्पत्तियों पर व्यय						
(क) सावधि परिसम्पत्तियों की खरीद	501499	0	501499	0	0	0
V. राज्य सरकार को बेशी धन/ऋणों की प्रतिदायगी	0	0	0	6857129	6857129	0
VI. ऋणों और						

अग्रिमों का भुगतान						
(क) स्टाफ को अन्य अग्रिम	296611		296611	543171	543171	0
(ख) भारती सेल्यूलर को सिक्योरिटी	0			6000	0	6000
(ग) जी पी एफ से अग्रिम/आहरण	2031326		2031326	2214956	2214956	0
(घ) यात्रा अग्रिम	330530		330530	0	0	0
(ङ) बैंक को भुगतान के लिए वसूली (आवास ऋण)	10890		10890	21780	21780	0
VII. अन्य भुगतान						
(क) रा.रा.क्षेत्रों के बांडों का मोचन	0			3871500000	3871500000	0
(ख) बयाना राशि	150000		150000	210000	210000	0
(ग) भुगतान किया गया आयकर और एफ बी टी	351817682	351685075	132607	344296094	344296094	0
(घ) दिए गए अधिक ब्याज की प्रतिदायगी	0			0		0
(ङ) जी आई एस निधि से भुगतान	127390		127390	124544	124544	0
(च) एन पी एस को बोर्ड का अंशदान	0			76529	76529	0
(छ) स्रोत पर कर की कटौती	2347535		2347535	46149821	46149821	0
(ज) प्रतिनियुक्त कर्मचारी वसूली	156880		156880	155818	0	155818
VIII. इति शेष						
(क) हाथ में रोकड़ (अग्रदाय	5224	5224		3269	3269	0

सहित)						
(ख) बचत खाते में बैंक बैलेंस	729331970	729331970		550209028	550209028	0
(ग) बचत खाते में बैंक बैलेंस (सी पी एफ)	387874		387874	933	0	933
(घ) बचत खाते में बैंक बैलेंस (जी पी एफ)	168716		168716	427370	0	427370
(ङ) बचत खाते में बैंक बैलेंस (एन पी एस)	548575		548575	312394	0	312394
	28847947719	28819706441	28241277	36148237098	36131538566	16698532

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रूपयों में)

रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कायिक / पूंजी निधि)	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्ष के शुरुआत में शेष	15651031478	14001319207
जोड़े: दिल्ली सरकार से अनुदान/अंशदान	5000000000	2700000000
जोड़े: एम ओ यू डी से सहायता-अनुदान	10000000000	7500000000
जोड़े: आय तथा व्यय लेखा (योजना) में अन्तरित	1077196381	628678504
जोड़े: आय तथा व्यय लेखा (गैर-योजना) में अन्तरित	795250	1033767
वर्ष-समाप्ति पर शेष	18229023109	15651031478

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रूपयों में)

चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
सांविधिक देयताएं	11065540	10620494
1. सामान्य भविष्य निधि	0	0
2. सी पी एफ	568379	329266
3. नई पेंशन योजना निधि	954404	951785
4. जी आई एस निधि	504101	504101
5. पेंशन हेतु अंशदान	13000	15000
6. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूलियां	231623	89674
7. ठेकेदारों/व्यवसायियों/स्टाफ से स्रोत पर कर की कटौती	205000	205000
8. अतिशोध्य		
उप-योग	13542047	12715320
अन्य चालू देयताएं		
1. देय खर्च	52226147	18741284
2. बैंक की भुगतान कर्मचारी आवास ऋण वसूली	0	1815
3. बयाना	781965	923500
4. राज्य सरकारों/एजेंसियों से ऋणों की अपेक्षा अधिक प्राप्तियां	1037945	526902
उप-योग	54046057	20193501
प्रावधान		
1. आयकर-वित्तीय वर्ष 2005-06	0	246700000
2. फ्रिज लाभ कर - वित्तीय वर्ष 2005-06	0	183000
3. आयकर-वित्तीय वर्ष 2006-07	0	319000000
4. फ्रिज लाभ कर - वित्तीय वर्ष 2006-07	0	101000
5. आयकर वित्तीय वर्ष 2007-08	0	0
6. फ्रिज लाभ कर वित्तीय वर्ष 2007-08	0	0
उप-योग	0	565984000
कुल योग	67588104	598892821

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
वर्ष 2007-08 के लिए सावधि परिसम्पत्तियां

क्रमांक	परिसम्पत्तियों के नाम	01.04.07 के अनुसार शेष	परिवर्धन		विक्री/ अन्तरण	सकल शेष	मूल्यहास		निवल शेष
			30.9.07 तक	30.9.07 के पश्चात्			दर (%)	राशि	
(क) सरकारी अनुदान से उपाजित परिसम्पत्तियां									
1.	एडीशनल पावर पावंइट	1833.71	--	--	--	1833.71	10	183.37	1650.34
2.	एयर कंडीशनर	3003.41	--	--	--	3003.41	15	450.51	2552.90
3.	आटो डायलर	224.18	--	--	--	224.18	15	33.63	190.55
4.	कैलकुलेटर	492.75	--	--	--	492.75	15	73.91	418.84
5.	कार	506116.12	--	--	--	506116.12	15	75917.42	430198.70
6.	कंप्यूटर/प्रिंटर	347888.32	--	122400.00	--	470288.32	60	245452.99	224835.33
7.	कंप्यूटर साफ्टवेयर एंड डेव.	3152.00	--	1850.00	--	5002.00	60	2446.20	2555.80
8.	सी बी टी	4045.12	--	--	--	4045.12	15	606.77	3438.35
9.	इको विडियोग्राफी	773.50	--	--	--	773.50	15	116.03	657.48
10.	विद्युत उपकरण	4897.50	--	--	--	4897.50	15	734.63	4162.88
11.	इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर	679.83	--	--	--	679.83	15	101.97	577.86
12.	ई पी ए बी एक्स	93277.94	--	--	--	93277.94	15	13991.69	79286.25
13.	फालस सिलिंग ट्यूब फिटिंग	862.43	--	--	--	862.43	10	86.24	776.19
14.	फैक्स मशीन	15918.45	--	--	--	15918.45	15	2387.77	13530.68
15.	फायर फाइटिंग उपकरण	116.66	--	--	--	116.66	15	17.50	99.16
16.	फर्निशिंग	101415.05	--	--	--	101415.05	10	10141.51	91273.55
17.	फर्नीचर	294812.03	--	46461.00	--	341273.03	10	32958.55	308314.48
18.	गोदरेज सेफ/चेस्ट	1700.82	--	--	--	1700.82	10	170.08	1530.74
19.	गोदरेज कैबिनेट	4602.68	--	--	--	4620.68	10	462.07	4158.61
20.	हाटलाइन प्रोजेक्शन विजन	4090.61	--	--	--	4090.61	15	613.59	3477.02
21.	क्रिसन वी सी आर	516.90	--	--	--	516.90	15	77.54	439.37
22.	चिकित्सा उपकरण	3820.22	--	--	--	3820	15	573.03	3247.19
23.	निकोन डिजिटल कैमरा	33540.70	--	--	--	33540.70	15	5031.11	28509.60
24.	फोटोकॉपी मशीन	268819.03	-	247000.00	-	515819.03	15	58847.85	456971.18
25.	पी वी सी पार्टिशन	6147.48	--	--	--	6147.48	10	614.75	5532.73
26.	पेडेस्टल फैन	1359.13	--	--	--	1359.13	10	135.91	1223.22
27.	पेपर मोनस्टरजूनियर	2509.15	--	--	--	2509.15	15	376.37	2132.78
28.	पिक अप वैन बजाज आटो	65182.79	--	--	--	65182.79	15	9777.42	55405.37
29.	रेफ्रिजरेटर	811.94	--	--	--	811.94	15	121.79	690.15
30.	रेटरिंग स्क्राइबर	7511.86	--	--	--	7511.86	15	1126.78	6385.08

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रुपये में)

निवेश-अन्य भविष्य निधि	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	4911385	4911385
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक के साथ एफ डी आर)	5000000	4800000
3. शेयरर्स	0	0
4. डिबन्चर्स तथा बॉण्ड्स	1140000	1200000
5. इमदाद तथा संयुक्त उद्यम	0	0
6. अन्य		
भविष्य निधि बचत बैंक शेष	556590	428303
भविष्य निधि निवेश पर प्राप्त ब्याज	249711	158206
उप-योग	11857686	11497894
नई पेंशन योजना जमा	548574	312394
कुल योग	12406260	11810288

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण अग्रिम आदि क. चालू परिसम्पत्तियाँ:	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पुस्तकों और प्रकाशन का स्टॉक	344802	376907
2. विविध देनदार	98361	172261
क) छ: माह की अवधि से अधिक के बकाया ऋण	41230	41230
ख) अन्य (एम टी एन और जी एम टी में प्रतिभूति)	5224	3269
3. हाथ में नकद शेष	144815	216760
उप-योग		
4. बैंक शेष		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
- बचत खाते पर (आटो स्वेप एफ डी आर सहित)	729331969	550209028
- जमा खातों पर	1000000000	1950000000
- बांड मोचन आरक्षित	0	0
उप-योग	1729331969	250020908
योग (क)	1729821586	2500802695
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियाँ		
1. ऋण		
क) स्टाफ को अग्रिम	1404435	1637794
ख) अन्य अग्रिम		
i) यात्रा अग्रिम	51999	72799
ii) एल टी सी अग्रिम	0	25716
iii) पेट्रोल अग्रिम	400	200
iv) विविध अग्रिम	57200	2300
उप-योग	109599	101015
ग) राज्य सरकारें/क्रियान्वयन एजेंसियाँ	17711699045	12734169231
2. वसूले जाने वाले अग्रिम और अन्य राशियाँ	0	0
क) पूर्व भुगतये व्यय		
ख) वसूले जाने वाले अग्रिम आय कर और स्रोत पर कर कटौती		
ग) अग्रिम आय कर/स्रोत पर कर कटौती (वित्तीय वर्ष 2004-05) नेट आफ प्रोविजन	77433800	77433800
घ) अग्रिम आय कर/टी डी एस तथा एफ बी टी (वित्तीय वर्ष 2005-06) नेट आफ प्रोविजन	108150893	355033893
ज) अग्रिम आय कर/टी डी एस तथा एफ बी टी (वित्तीय वर्ष 2006-07) नेट आफ प्रोविजन	26988083	346089083
च) अग्रिम आय कर/टी डी एस तथा एफ बी टी (वित्तीय वर्ष 2007-08)	351817682	0
	564390458	778556776
उप-योग	11176978	21870984
3. प्रोदभूत आय	251730076	186021222
क) प्रोदभूत ब्याज लेकिन एफ डी आर पर देय नहीं	1215290	1074530
ख) ऋण पर प्राप्त ब्याज	264122344	208966736
ग) स्टॉफ ऋण पर प्रोदभूत ब्याज		
उप-योग		
योग (ख)	18541725	13723431553
योग (क) + (ख)	20271547467	16224234248

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र. एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-6

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) का अनुसूची संरचना भाग

(रकम रूपयों में)

	अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1.	सावधि जमाओं पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों में	136218834	340356285
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों में	0	0
ग)	संस्थाओं में	0	0
घ)	अन्य	0	0
2.	बचत खातों पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों में		
	बचत बैंक ब्याज - 1339045.00 रुपये		
	आटो स्वेप एफ डी आर पर ब्याज - 53712936.49 रुपये	55051981	33627938
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों में	0	0
ग)	डाकघर बचत खाता	0	0
घ)	अन्य	0	0
3.	ऋणों पर:		
क)	राज्य सरकारों/अनके क्रियान्वयन एजेंसियों को ऋण पर ब्याज	949218617	740814185
ख)	कर्मचारियों/स्टॉफ को दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज	179936	181521
ग)	अन्य	315517	0
	योग	1140984885	1114979928

अनुसूची-7

	अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क)	ब्याज दरों की रिसेटिंग के लिए अफ्रंट शुल्क	0	2420266
ख)	पूर्वभुगतान प्रभार	0	2020800
ग)	विविध आय	0	0
	योग	0	4441066

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-8

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) का अनुसूची संरचना भाग

(रकम रूपयों में)

स्थापना व्यय (योजना)	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	1129963	775757
ख) अन्य - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकोष्ठ व्यय की प्रतिपूर्ति	10814288	10299288
योग	11944251	11075045

अनुसूची-9

(रकम रूपयों में)

क) अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पुस्तकों और प्रकाशन की लागत	32107	107599
ii) अध्ययन और सर्वेक्षण	5778524	1249668
iii) विज्ञापन और प्रचार	0	0
iv) बोर्ड की बैठक पर होने वाला व्यय	417454	200407
v) कंप्यूटर साफ्टवेयर और डेवलपमेंट	5429589	0
vi) शुल्क और मानदेय	0	2900
योग	11657674	1560574

अनुसूची-10

(रकम रूपयों में)

बाजार ऋण पर व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) बांडों पर ब्याज	23126575	156594568
ख) लिस्टिंग शुल्क	50000	50000
ग) रेटिंग एजेंसी प्रभार	1573040	469096
घ) रजिस्ट्रार और स्थानान्तरण एजेंट	0	13464
ड.) एनसीआरपीबी का योग्य बॉण्ड्स 2018-पर स्टैप ड्यूटी	7340000	0
च) एनएसडीएल प्रभार	1124	33672
छ) एनसीआरपीबी कर योग्य बॉण्ड्स 2018 पर कारपोरेटएक्शन फीस / कस्टोडियल फीस	56742	0
ज) अरेन्जरस फीस	2022480	0
झ) एनसीआरपीबी कर योग्य बॉण्ड्स 2018 पर आवेदन रकम पर ब्याज	4338692	0
योग	38508653	157160800

ह./-

सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-

निदेशक (प्र. एवं वि.)

ह./-

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

जी पी एफ और सी पी एफ के निवेशों पर आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) जी पी एफ निवेश पर ब्याज	626479	520957
ख) जी पी एफ के बचत बैंक खातों पर ब्याज	20443	166648
ग) सी पी एफ निवेश पर ब्याज	101645	134877
घ) बचत बैंक खाता पर ब्याज	956	10510
योग	749523	832992

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र. एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान	0	0
2. बांड मनी/वेतन और भत्तों की वसूली	40542	426904
3. भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	2300	7700
4. स्टॉफ कार के उपयोग हेतु वसूली	10953	8400
5. पुराने समाचार पत्रों की बिक्री	2200	2454
6. विविध सेवाओं के लिए वसूली	432	0
योग	56427	445458

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर-योजना) का अनुसूची संरचना भाग

स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वेतन (मूल + डी पी)	5694508	5859744
भत्ते और बोनस	5889981	5058607
एन पी एस के लिए अंशदान	112306	76529
सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ	1205992	1973021
<u>अन्य</u>		
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	247916	185000
जी पी एफ एकाउंट पर बयाज	815176	776521
भर्ती व्यय	0	11899
सम्पदा निदेशालय को भुगतान किया गया लाईसेंस शुल्क	113363	32958
समाचार पत्र और आवधिक पत्रिकाएं	72265	63821
वर्दियां	17513	0
योग	14169020	14038100

प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
विद्युत और जल प्रभार	55950	109889
ठेकागत मजदूरों को मजदूरी	336799	331383
मरम्मत और रखरखाव	472708	94727
किराया, मूल्य और कर	739418	923802
वाहन चालन और रखरखाव	480661	381743
पोस्टेज, टेलीफोन और प्रभार	661531	634773
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	355920	492280
यात्रा तथा वाहन व्यय	437346	267058
संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	80339	38700
आई एच सी अभिदान व्यय	0	5510
कानूनी शुल्क पर व्यय	106500	32750
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	34216	46700
आतिथ्य खर्च	108268	182984
व्यावसायिक शुल्क	408607	679347
विज्ञापन और प्रचार	205536	821083
<u>अन्य</u>	98881	163994
योग	4582680	5206723

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र. एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार लेखों और संबद्ध महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों तथा तुलन पत्र के संरचना भाग पर टिप्पणियां ।

1. लेखाकरण अभिसमय:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और लेखाकरण के प्रोद्भवन तरीके आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक अन्यथा नीचे वर्णित लेखाकरण नीतियों में न बताए गए हों ।

2. लेखों का नया फार्मेट और नजदीकी रूपयों तक आंकड़ों को पूर्णांकित करना:

वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए बोर्ड के लेखे प्रधान लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार नए फार्मेट में तैयार किए गए हैं । वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नजदीकी रूपयों तक पूर्णांकित किया गया है ।

3. आय मान्यता:

सभी आय को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी गई है ।

4. नियत परिसम्पत्ति:

- (क) नियत परिसम्पत्तियां मूल्यहास का प्रभार लगाने के पश्चात् हासित मूल्य पर बतायी जाती है ।
- (ख) नियत परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर के अनुसार डब्ल्यू डी वी तरीके से प्रभारित किया गया है । मूल्यहास आय और व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित किया गया है ।

5. व्यय की मान्यता:

एल टी सी के भुगतान को छोड़कर जिसे नकद आधार पर लिया जाता है, सभी व्ययों को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है ।

6. सेवा निवृत्ति लाभ:

(क) ग्रेच्युटी:

स्टॉफ को भुगतने ग्रेच्युटी के खाते संबंधी देयता की गणना नकद आधार पर की जाती है । भुगतान पर प्रभार वास्तविक भुगतान वर्ष में आय और व्यय लेखा हेतु लगाया जाता है ।

(ख) भविष्य निधि:

बोर्ड सामान्य भविष्य निधि एकाउन्ट और अंशदायी भविष्य निधि एकाउन्ट का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है ।

जी पी एफ और सी पी एफ के लिए देयता के लिए संगत वर्ष में राजस्व से प्रभारित लगाया जाता है और इसे बोर्ड के भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दिया जाता है ।

(ग) नई पेंशन योजना निधि:

सरकार ने 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नई भर्तीवालों के लिए नई पेंशन योजना (एन पी एस) शुरू की है । कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है । तदनुसार, नई पेंशन योजना निधि का सृजन उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 से हुई है । बोर्ड कर्मचारी के अंशदान की राशि और विधिवत समान रूप में बोर्ड द्वारा दी गई राशि बैंक में रखकर एन पी एस का रखरखाव कर रहा है । सरकार ने अब तक इन निधियों के निवेश हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं दिया है ।

(घ) छुट्टी नकदीकरण:

छुट्टी नकदीकरण के संबंध में हकदारी हेतु देयता की गणना नकद आधार पर की जाती है ।

(ङ) पेंशन निधि:

वर्ष के दौरान बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान का प्रभार आय और व्यय लेखा (गैर-योजना) से लगाया जाता है । बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के लिए आवश्यक प्रावधान शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित बोर्ड के वार्षिक बजट में किया जाता है । बोर्ड को दूसरे विभाग से बोर्ड में स्थानान्तरित स्थाई रूप में बोर्ड में खपाए जाने के आधार पर एक कर्मचारी के संबंध में 5,04,101/- रुपये की राशि पेंशन हेतु अन्तिम लाभ के रूप में प्राप्त हुई है और जो तुलन पत्र के देयता पक्ष में 'पेंशन निधि' शीर्ष के तहत देयता के रूप में दर्शाई गई है ।

(च) जी आई एस देयता के लिए बोर्ड के अंशदान हेतु प्रावधान:

बोर्ड ने वर्ष 2005-06 के दौरान एल आई सी से समूह बीमा योजना नामक एक पालिसी ली है और इसके प्रोद्भूत होते ही ऐसे किसी दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से एल आई सी को 6,91,873/- रुपये की राशि अन्तरित की है ।

7. एन सी आर पुस्तकें और प्रकाशन:

बेची गई और मानार्थ प्रति के रूप में निःशुल्क वितरित की गई एन सी आर पुस्तकों और प्रकाशनों की लागत को आय और व्यय लेखा (योजना) से प्रभारित किया जाता है तथा वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टॉक को लागत पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलन पत्र में दर्शाया जाता है ।

(क) योजना और गैर-योजना लेन-देन:

प्रत्येक योजना और गैर-योजना लेन-देन के लिए अलग से प्राप्तियां और भुगतान खाता तथा आय व व्यय का विवरण तैयार किया जाता है ।

(ख) अध्ययन और सर्वेक्षण:

अध्ययनों और सर्वेक्षणों पर होने वाले सभी व्ययों को आय व व्यय लेखा (योजना) से प्रभारित किया जाता है ।

(ग) एन सी आर योजना और अनुवीक्षण प्रकोष्ठ:

एन सी आर योजना और अनुवीक्षण प्रकोष्ठ पर होने वाले व्ययों को पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत दावों के आधार पर 'एन सी आर प्रकोष्ठ व्यय की प्रतिपूर्ति' शीर्ष के तहत आय और व्यय द्वारा प्रभारित किया जाता है तथा प्रस्तुति और अनुमोदन पर वास्तविक व्ययों में किसी अन्तर को परिवर्ती वर्ष में समायोजित किया जाता है ।

9. आयकर:

उपयुक्त आयकर प्राधिकार अर्थात वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग आयकर महानिदेशक (छूट) नई दिल्ली ने उनके आदेश संख्या डी जी आई टी (ई) 10 (23 सी) iv / 2008 दिनांक 2/5/2008 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सेक्शन 10, आयकर नियम 1961, के खण्ड(23सी)iv उपखण्ड(iv) के अन्तर्गत अनुमोदित कर दिया है। अब बोर्ड की आय को आयकर नियम 1961, खण्ड10 के (23 सी) iv के अन्तर्गत आयकर देने से छूट प्राप्त है। इस स्थिति को देखते हुए वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखों में कोई आयकर प्रावधान नहीं किया गया है। जो टैक्स वर्तमान वर्ष में भुगतान किये गये हैं उन्हें अनुसूचि-5 में वसूली योग्य अग्रिम टैक्स के रूप में दर्शाया गया है।

10. स्थापना व्यय (योजना) वेतन-

वर्ष 2007-08 के दौरान बोर्ड के 5 कर्मचारियों का वेतन 11,29,963/ रुपये आंतरिक प्रोद्भवन लेखा से खर्च किया गया है जो कि आय और व्यय (योजना) का भाग है। तथा इसे मद स्थापना व्यय (योजना) में दिखाया गया है। ये पद सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 में सृजित/ स्वीकृत किए गए थे तथा इनका व्यय बोर्ड के आंतरिक प्रोद्भवन से किया जाना था। तदनुसार बोर्ड वर्ष 1999-2000 से इन पदों के वेतन का खर्चा आंतरिक प्रोद्भवन से दिखा रहा है जो कि आय और व्यय (योजना) में दर्शाये गये हैं।

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र. एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखे पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 25 के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन, 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखे के संलग्न तुलनपत्र और आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अदायगी लेखा की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी, हमारे द्वारा इन वित्तीय विवरणों पर की गई लेखा परीक्षा पर मत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल लेखा ट्रीटमेंट पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां हैं। यह टिप्पणियां वर्गीकरण, अनुरूपता, सर्वोत्तम लेखा व्यवहर्ताओं, लेखा मानकों और प्रकट किए गए प्रतिमानों के संबंध में विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य तथा नियमता) और निपुणता-सह निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा रिपोर्टों में अलग से दिखाई गई हैं।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा, प्रायः भारत में स्वीकार किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन भौतिक गलत बयानी से मुक्त वित्तीय विवरणों के संबंध में तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करते हैं। एक लेखा परीक्षा में, टैस्ट बेसिस, प्रमाण, राशिओं के संबंध में समर्थन दस्तावेज और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा परीक्षा नियम का जायजा लेना और प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, हमारे मत का औचित्य आधार है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मैं सूचित करता हूं कि

- i) मैंने सभी सूचना और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के लिए हमारे लेखा परीक्षण प्रयोजन के लिए आवश्यक थे को प्राप्त कर लिया है ।
- ii) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र, आय-व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं ।
- iii) मेरी राय में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा लेखे की पुस्तकें और संबंधित रिकार्ड जहां तक हमारे द्वारा इनकी जांच की गई है ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उचित रूप से रखा गया है जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, अधिनियम, 1985 की धारा 33 (i और ii) द्वारा अपेक्षा की गई है ।
- iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क. तुलन पत्र

परिसम्पति

25.17 करोड़ रूपए की राशि जिसे 'चालू परिसम्पति ऋण अग्रिम' शीर्ष के अधीन ऋण पर प्राप्य ब्याज के रूप में अनुसूची 5 में दर्शाया गया है में 2-50 लाख रूपये सम्मिलित हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार से पहले ही प्राप्त हो गए हैं और 2006-07 के दौरान लेखे में ले लिए गए हैं । लेखों में ऐसे चित्रण के परिणाम स्वरूप 'प्रोद्भूत आय-ऋण पर प्राप्य ब्याज' शीर्ष के अधीन 'चालू परिसम्पति, ऋण और अग्रिम' के उस स्तर और आय के अनुकूल अत्युक्ति होती है ।

ख. लेखा नीतियां

बोर्ड द्वारा यू टी आई - जी एस इस सी (विकास) योजना में 16.9.93 को 15 लाख रुपए के निवेश का मूल्य, लागत/बुक मूल्य पर 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए लेखे में दिखाया गया है । तथापि, 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार इसके बाजार मूल्य और सरकारी प्रतिभूतियों की लागत/बुक मूल्य के बीच अन्तर का लेखों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में उल्लेख नहीं किया गया है ।

ग. सामान्य

सेवा निवृत्ति लाभ, अर्थात् छुट्टी नकदीकरण, उपदान आदि के लिए व्यवस्था बीमांकक आधार पर नहीं किए गए हैं । अनुसूची 16 के पैरा 7(क) (घ) और (ङ) में किए गए प्रकटन लेखे के समरूप फार्मेट में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार नहीं है । 2006-07 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के बावजूद, कोई सुधारक उपाय नहीं किए गए हैं ।

घ. कमियां, जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है को, अलग से एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के ध्यान में ला दी गई हैं, ताकि उन पर उपचारत्मक/सुधारक उपाय किए जाएं ।

ङ. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान, 151.87 करोड़ रुपये अर्थात् शहरी विकास मंत्रालय से (100 करोड़ रुपये योजना और 1.87 करोड़ रुपये गैर-योजना) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से 50 करोड़ रुपये की प्राप्त सहायता अनुदान में से, 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार संगठन ने पूरे अनुदान का उपयोग किया ।

- v) पिछले पैराग्राफों में दी गई टिप्पणियों को छोड़ कर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखे, लेखा पुस्तकों के अनुसार हैं ।
- vi) मेरी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखों पर लेखाकरण नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित वित्तीय विवरण और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों को छोड़कर भारत में प्रायः स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांत के अनुरूप सही और निष्पक्ष प्रकटन करते हैं:
- क. जहां तक 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के मामलों के संबंध में तुलन पत्र संबंधित है ।
- ख. जहां तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष की आय और व्यय लेखे का संबंध है ।

ह/.

(के.आर. श्रीराम)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षण
आर्थिक और सेवा मंत्रालय

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 6 अक्टूबर, 2008